

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email:-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 4224 / 121 गोपेश्वर,
सेवा में,

दिनांक

06/03/2025

अधिसासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि० पोखरी।
विषय :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- भारत सरकार के कार्यालय के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/117/2015/एफ०सी०/959, दिनांक 07.08.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी० की दरों में भारत सरकार के फाईल सं० 5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक 19.01.2022 को पुर्ननिर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

पुर्ननिर्धारित एन०पी०वी० की दरों के लागू होने के तिथि के सम्बन्ध में भारत सरकार के फाईल सं० 5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक 19.01.2022 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार संशोधित एन०पी०वी० की दर निम्न प्रकरणों में लागू होंगे-

1. ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2(II)के तहत दिनांक 06.01.2022 के पश्चात् प्राप्त हुये हो।
2. ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2(II)के अन्तर्गत 05 वर्ष से अधिक पूर्व अर्थात् दिनांक 06.01.2017 से पूर्व प्राप्त हुयी हो, परन्तु Stage-II को अनुमोदन दिनांक 06.01.2022 तक अप्राप्त हो।

आपके कार्यालय का निम्न वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जो उक्त संशोधित एन०पी०वी० दरों की परिधि में आच्छादित है कि क्रम में अंकित विवरणानुसार अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।

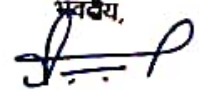
क्र० सं०	परियोजना का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति का दिनांक	पूर्व की दरों के अनुसार जमा की गई एन०पी०वी० की धनराशि	वर्तमान दरों के अनुसार एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है
1	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।	07.08.2018	7.35x 845000.00 =62,10,750.00	7.35x 1292850 = 9502447.50 (अवशेष धनराशि) = 32,91,697.50 Say 3291698.00 Rs.

सुलभ सन्दर्भ हेतु भारत सरकार के उक्त पत्र को छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि जमा करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संख्या 4224 / 121 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(तरुण एस०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।


(तरुण एस०)